

T.D.C.F)



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय :-
महानदी भवन, नया रायपुर

दिनांक २६३६ / २२८२ / २०१४ / ३८-२
द्रष्टा

रायपुर, दिनांक ६४ / ०७ / २०१५

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रायती भवन,
नया रायपुर (छोगो)

पिष्य :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने वालत।

— ०० —

विश्वांतर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति लापत्ति कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का प्रयत्न करें।

२/ निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवश्य विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)

अधर संविध

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक / ०७ / २०१५

प्रकरण / २२८२ / २०१४ / ३८-२

ट्रैलिपि -

- १ दिशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर.
- २ संकाय, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर.
- ३ ऑर सूचनार्थी।
- ४ आदेश फौल्डर।

— ID —

अधर संविध

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

JL
PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.O.)

Regd. No. 15
Date 07.07.15

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2015-2016

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर यिन अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कांडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश घाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश किया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ख" में हो गया, इस स्थान (ख) के महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना याहाता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ख) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान

(x) के फिरी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः आव प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकाल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगभाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कॉसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवशन (अधिकतम 4 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु व्ययनित विद्यार्थियों की अहंकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश संगीति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रगाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रगाण पत्रों से मिलान कर प्रगाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रगाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की गोहर लगाकर संसे रद्द करना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की रौप्य लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त किया जायेगा।

- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी छात्राओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से प्रसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 रथानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। रथानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की रिथति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संख्या से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल रथानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य रथानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र ईंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उरा महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।
5. प्रवेश की पात्रता :—
- 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :—
- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त योर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।
- 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :—


PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari [C.B.]

10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता किन्तु गणित और वात्ता संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं

दिया जायेगा। दी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।

- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाङ्क में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCIE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पठानकगां में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगे।


PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.B.)

6. समक्षा परीक्षा :-

- 6.1 रोड बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉरिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा गण्डल की 10+2 परीक्षा के समक्षा मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की रूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय रांघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समक्षा मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईव्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक

1-52/2013(सी.सी./एन.एस.व्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एन.एस.व्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षणिक अहंता संरचना (एनवीईव्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसव्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 रत्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रत्तर 5 से रत्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं रत्तर 1 से रत्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईव्यूएफ के अनुसारण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईव्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को सामतुल्य/समरतरीय प्रगाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसव्यूएफ के रत्तर 4 के प्रमाणित रत्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके

पाठा १२ रत्तर में व्यावसायिक विषय थे ये अलगाकारी रिथ्टि में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस रामय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस रामय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में सामतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को इतिहासिक गत्यात्मकता के लिए सूअवसार मिल सकें।"

7 वाहय आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आगामीक छों तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर रिथ्टि विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर को प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हें विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्नायुतीय आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मौक्के प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राप्तार्थी द्वारा दी जा सकती है।

- 8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

- 8.1 10+2 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

(उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9 प्रवेश हेतु अहताएँ :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व रात्रि में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्घटना/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिस्टर के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वं/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का वंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित य अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्यवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अध्यवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटेसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकारी आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संरक्षित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(इ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/निःशक्ति अभ्यर्थी/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।


PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

12. आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप नियमानुसार होगा :—
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संख्या में इसका विरतार निम्नलिखित शैति से होगा, अर्थात् :-
- अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसृचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या—में से चारह प्रतिशत सीटें अनुसृचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से चारह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- परन्तु, जहाँ अनुसृचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसृचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों द्वारा भरा जाएगा।
- 12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार्धर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, गहिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उद्धार्धर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र—पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का समिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- PRINCIPAL**
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.B.)
- जून-कशीर विधायितों तथा आभिलों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए गूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

- 12.8 समय-रामय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कड़िका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अधारीन रहेगा।
- 12.10 एकीक हिंग घो व्यवितयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू पी (री) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." या कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार गात्र गुणानुकूल निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में गुप्त का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	शष्ठ्यपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(य)	झगूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एवरारोज ग्रोग्राम में भाग लेने वाले केडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले केडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जन्मूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
	उन्नर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को रगतकोत्तर गव्हर्नरी पी.जी.सी. में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विद्या / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :-

- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय रांगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
 - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त नंडिङ 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तरराज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय रांगठन द्वारा आयोजित अन्तर्राजीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान, प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
 - (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को - 07 प्रतिशत
 - (ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
 - (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
 - (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्घरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में व्यवस्थित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत
 - (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विरथापितों तथा उनके आशितों को 01 प्रतिशत
- 13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सहशेर्ष कॉलेजेस तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोर्ट्स असारिनी और इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में

भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को रांचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ राजन द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना आवेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने को लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल सत्र के पिछले चार कार्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र रनातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विनाश तीन कार्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। रनातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं रनातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कड़िका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अंककाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अमंगित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी

महाविद्यालयों के प्राचार्य अमंगित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रगाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानवूँड़ाकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असाधारीत गदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूरी दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्ण अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कांडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी वा प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा गहाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रपटीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकारण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए रपटीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन / संशोधन / निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

0/6

(डॉ.ए.क.पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)

1/6

(डॉ.आर.बी.सुन्दरमनियन)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

L
PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रधनी भवन,
नया रायपुर(छ.ग.)

—00—

क्रमांक/ २१५६ ३४ /आउट/ समन्वय/ 2017

रायपुर दिनांक २३/०६/२०१७

प्रति,

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अध्यणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।



विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।

संदर्भ :- अवर सचिव ज्ञ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/ 2017 / 38-2 नया रायपुर दिनांक 29.05.2017

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 में दिये गये प्रादधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

• संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त सचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

रायपुर दिनांक २३/०६/२०१७

पु. क्रमांक/ २१५६ ३४ /आउट/ समन्वय/ 2017

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव ज्ञ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. दोतीय अपर सचालक, दोतीय प्रादधान, उच्च शिक्षा शिलासापुर/जगदलपुर/अबिकापुर की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त सचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.B.)

V.C. के लिए
File No. २४/६७
03.06.17

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालयः
महानदी भवन, नया रायपुर
-----00-----



आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

29/5/17
(नलिनी माधुर)

अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017/38-2

नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ अयोग्यित।
- गार्ड फाईल।

अवर सचिव
छोगो शासन, उच्च शिक्षा-विभाग

PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari 100001

छत्तीसगढ़ शासन
एवं शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं
में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक रिक्विट
रात्रि 2017-2018

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक रिक्विट छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा सामर्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम रोमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम रोमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लेगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संरक्षा के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया किन्तु पालक के रथान (ब) पर स्थानान्तरण होते ही, स्थान (ग) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि भिक्षा जाने के बाद आपेक्षा (ए) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अतिगति निर्धारित करना :-**
- विधि संकाय के अंतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम पोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर निर्णयित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध राधानों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा “उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।”**
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अहकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश रामिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के रात्काल घाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र पर “प्रवेश दिया गया” की गोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।



- विभागीय शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय ने प्रवेश दाना होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल पत्र को निरस्त की सील लगाकर अनियार्थी रूप से निरस्त कर दिया जाए।
४. प्रोक्षित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अतिग्र रिपोर्ट के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय गद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसी प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
५. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की विस्तीर्ण प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र स्थो जाने की रिपोर्ट में, विद्यार्थी हारा निकटरथ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त सरथा से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमानुक्रम एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की रिपोर्ट में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से बचन पत्र लिया जाये।
६. महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंजिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के पाचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
७. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद हारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक छात्र को छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-

- (क) उत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, उत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार हारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन उत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जन्मू काश्मीर के विस्थायितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) रामबद्ध विश्वविद्यालय से या समबद्ध विश्वविद्यालय हारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आदश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक रसार नियमित प्रवेश :-

- (अ) १००% परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं होना जायेगा। वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ब) स्नातक रसार पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रसार पर विषय परिपर्वतन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर रसार नियमित प्रवेश :-

- (अ) वी.कॉम / वी.एस.सी. (गृह विज्ञान) / वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम. / एम.एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.-पूर्व / प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, वी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी / एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 २. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (अ) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम रोमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (अ) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

AICTE/NCIE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रयोग / संचालन पर संबंधित रास्था के प्राच्यवाग प्रमाणी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ रोकेंडरी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉरिल फार सेकेण्डरी एज्युकेशन (आई.सी.एस.ई.) रास्था अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं गांधीगिक शिक्षा गण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की रूची राम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में रिख्त विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी रामरत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हैं, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निवैशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रयोग देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं ने डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता निहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आयोगों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक
1-52 / 2013(सी.सी.एस.एस.एफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

‘जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसएसएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अहंता संरचना (एनवीईव्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसएसएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य / समर्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसएसएफ के स्तर 4

के प्रमाणित रत्न सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशाम जारी है जिसे इतने जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक पूर्व विद्यार्थी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी विषयों में हींगे। अतः मैंने आपसे अनुरोध किया है कि जिस रमण भावों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयारा विषय जा रहे हों तो उस समग्र ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को शैक्षिक गत्यात्मकता के लिए सुअवश्यक मिल राके।

बाहर आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 रनातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-री./बी.एच.एस.-री. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से उत्तीर्णगढ़ के विद्यार्थी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 उत्तीर्णगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से रनातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।
- 7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बंधित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :—

 - 8.1 10+2 वर्ष स्नातक स्तर, वी.प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पाटेमेट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में रथान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2 रनातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

- 8.3 नियमित स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एसीएट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक पापा आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 8.4 उपरोक्त कठिनता 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होती।
- 8.5 पूर्ववर्षीय में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतं निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।
- 9 प्रवेश हेतु आवश्यक :—
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उर्दी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होती। यदि विस्तीर्ण छात्र ने पूर्व सब्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहीं नहीं गाना जायेगा। उसे गात्र मूल स्थानांतरण प्राप्ति-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में घालान प्रतुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सब्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्घट्यहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी रुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- 9.3 महाविद्यालय में तोडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिस्टर के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जॉच करवायें एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :—
- (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वदर्द/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की रिप्टिं में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मात्र की जाएगी।
- (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियमित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
- (ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (प) संरक्षित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु रानाका प्रथम वर्ष में 25 वर्ष से ऊपर स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (छ) विधि संकाय को जोड़कर अनुसंधित जाति/अनुसंधित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/नियमित अभ्यासी/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पृष्ठकालिक शासकीय/अशासकीय रोलरर वर्गीकारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरात लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का नियांरण :-**
- 10.1 उपलब्ध रथानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के ग्राहक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा नियांरण भापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-**
- 11.1 प्रथम वर्ष-स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा ने उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

- 12.5 परन्तु उपरोक्त प्रायग्यान स्वतंत्रता महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय के स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्न विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश भावाविद्यालय में स्थान रखने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
- 12.6 आरक्षण प्रत्यक्षीरामद याचन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विरलाप निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् :-
- अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बनीय उन्निश्चित सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या राकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से बाह्य प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
 - अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञात संख्या में से छोटड प्रतिशत सीटें अन्य पिछ्छे वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा गिरपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
- परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।
- 12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्धार्ध (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सभय-सभय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उद्धार्ध आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का समिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।
- 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत रथान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उगमीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार गेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेंगी।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होता। $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होती।
- 12.7 जमू—कश्मीर गिरेखापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनांग अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय समय पर शारान द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कड़िका 12। में दशाई गई आरक्षण के प्राक्षान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अधीनीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यवितरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक छन्दूपी(सी) 400/2012 नेशनल लीगल रायिसेस अर्थीरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़िका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि—"We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण को लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण—पत्र प्रवेश आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन—पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण—पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स,

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	"सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में युप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिंजोन में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(थ)	ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए	

	याग्नित एवं प्रवास करने वाले कैलेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जग्यूरी के लिये याग्नित होने वाले विद्यार्थियों को	
13.2	अन्तर्राष्ट्रीय पाठ्यकाग में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कदा गे उसी विषय में प्रवेश लेने पर	15 प्रतिशत 10 प्रतिशत
13.3	(एलकूड / साहित्यिक / सांस्कृतिक / किंवज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ :- (i) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग रतार अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर सभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- (ii) प्रथम, द्वितीय, सूतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (iii) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (iv) उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :- (v) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (vi) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (vii) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (viii) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- (ix) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत (x) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत (xi) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.5	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :- (a) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत (b) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत	
13.6	जग्यू-कश्मीर के विश्वापितों तथा उनके जाश्रितों को	01 प्रतिशत

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही गेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का गेतन आहरित घिन्ना जायेगा।

महाविद्यालय में पदश्व प्राध्यापक सुपरिवाइजर वो अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध ठात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य यातू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अधेष्ठित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी गहाविद्यालयों के प्राचार्य अधेष्ठित करेंगे।

16 विशेष :—

- 16.1 जाली प्रभाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानवृडाकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक द्वारा प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सब के दौरान कठिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सब के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए किसी भी प्रकरण को केवल अधेष्ठित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त/संलग्न का संपूर्ण अधिकार उत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त सचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ख्लौफ-री-३ द्वितीय एवं तृतीय ताल इन्द्रवती भवन,
नया रायपुर(छ.ग.)

—00—

क्रमांक 1703/326 आठशि/समन्वय/2018

नया रायपुर, दिनांक 6/06/2018

प्रति

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समरत अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।



विषय :- छत्तीसगढ़ के शोहणिक संरथाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका रिहाँत।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/ 38-2 नया रायपुर, दिनांक 02.06.2018

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा उत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संरथाओं के लिये सत्र 2018-19 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2018-19 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त सचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

नया रायपुर, दिनांक 6/06/2018

पु. क्रमांक 1703/326 आठशि/समन्वय/2018

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर सचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अदिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.O.)

प्रिंसिपल
पु.क्रमांकों के लिए
उपलब्ध कराए। पर्फॉर्मेट २७
८7.06.18

(४) संयुक्त सचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
गहानदी भवन, नया रायपुर
-----00-----

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक

02 JUN 2018

✓ आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रायती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 213/आउशि/समन्वय/2017 दिनांक निरंक
-----00-----

विषयात्मक संदर्भित प्रस्ताव को कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित रांस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कैडाइ रो पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(नलिनी भादुर)
8-6-19

अवर सचिव

छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक / / 2018

प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग, शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- निज सचिव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- निज सचिव, संयुक्त सचिव, छ.ग, शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग।
की ओर सूचनार्थ अग्रेसित।
- गार्ड कार्फ्ल।

अवर सचिव
छोगो शासन, उच्च शिक्षा विभाग

PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों यी स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए गार्डरक रिक्विट

संत्र 2018-2019

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये गार्डरक रिक्विट छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम--1973 के तहत आध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठी वार्ता हुए लागू होगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। 'प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर' से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कांडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश घाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया।

गिरिजा

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जिसमें छात्रों को रथान (वे) पर रथानांतरण होते ही, रथान (वे) के लिए महाविद्यालय में प्रवेश देना चाहता है, अतः अब प्रवेश को लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने को आवश्यक (वे) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि रांगनाय के अतिरिक्त अन्य रांगनायों को पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, रांगनित विश्वविद्यालय के गुंतलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि रांगनाय की कक्षाओं में पश्चात् गुणानुक्रम को आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी गहाविद्यालय में रथान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 गी तक्ता में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी रथान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की युक्ति चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा रांगालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा रांगालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में यार कौसिल द्वारा निर्धारित नापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेकेशन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्होंने निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की आईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहा अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को गूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं रथानांतरण प्रमाण-पत्र की भूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश प्रवेश किया जायेगी। प्रवेश होने के तत्काल बाद रथानांतरण प्रमाण-पत्र शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश होने के तत्काल बाद रथानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की गोहर लगाकर उसे रद्द फरना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जागा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र वीं मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

- 4.4 प्रेषित प्रवेश सूची वीं शुल्क जागा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु यिनाय शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अंतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र वीं द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र ईंगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/रथायी, छत्तीसगढ़ में रथायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत वैकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आवितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक रत्तर, नियमित प्रवेश :-

- (ii) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु गणित और फ़ाला संकाय के आवेदकों वो विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। शी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (iii) स्नातक रत्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष गी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रत्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर रत्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) शी.कॉ.ग./ शी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ शी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एग कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर शी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों ने एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कठाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम —
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।-
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातव. परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का कमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार, तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लाई जाएगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा की नियमितता विधि :-

- (क) “विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश” हेतु न्यूनतम अंक सीमा ६५% (अनुसृति/अनुरूपित लाभ) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाप्नी में ६५% (अनुसृति/संभिति/प्राप्ति) होगी। यांत्री वार्षीयी (हेतु ५०%) प्राप्ति आवेदकों

- 6 समकक्ष परीक्षा :-
- 6.1 सेन्ट्रल बोर्ड औफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौरिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- 6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदरय हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- 6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं सम्बद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संमय-समय पर जारी कर्जी अथवा नान्यता विहीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संमय-समय पर जारी कर्जी अथवा नान्यता विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अद्वशासकीय पत्र क्रमांक

1-52/2013(सी.सी./एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

“जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण व्यावसायिक शैक्षणिक अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्गमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

માહુય આધેપકો ના પ્રવેશ :-

7. भाष्य आधेदकों का प्रवेश :-
 स्नातक स्तर तक थी.ए./थी.गोपी./थी.एरा.-सी./थी.एच.एरा.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ को किसी भी विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आधेदकों को प्रमाण: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु कामकाज विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में सम्बद्ध विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आधेदकों ने पिछली परीक्षा की हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर रिथ्ट विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य 'विश्वविद्यालय/रवशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की प्रथम/द्वितीय परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय/तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आधेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्होंने विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।

जाये। राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करत हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- जाना अनिवार्य है।
 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व

8. अस्थायी प्रदेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थ्यों का प्रपत्र हुआ निम्नलिखित है।
अस्थायी प्रदेश लेना अनिवार्य होगा :-

10+2 तथा राजनीतिक स्तर की प्रथग/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त अस्थाया प्रवेश लाना आवश्यक है।

नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगले

विधि स्नातक प्रथम / द्वितीय वर्ष में निर्धारित एवीमेट 48 प्रतिशत पुस्तक करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अमली कक्षा में अख्याती प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के संगत 1, ऐवी 2 के आवेदकों को अख्याती प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीणे होने पर अख्याती प्रवेश पापा छात्र/छात्राओं का अख्याती प्रवेश रक्त निरस्त हो जाएगा। उल्लीणे होने पर अख्याती प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में माना जिया जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अहंताएँ -

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विद्यार्थी को किसी राक्षय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी राक्षय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनाह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र गूल रथानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियनानुसार प्रवेश होया जानेगा।

9.2 जिनके विस्तृद्वय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाक/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो, ये तथा उनके बाद भी सुधार परिस्थित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय ने तोडफोड करने और महाविद्यालय की रांपत्ति को नष्ट करने वाले/रैमिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जोच करथायें एवं जोच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के विस्तीर्णी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वय/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की मणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मात्र की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का वर्धन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित सरथाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अध्ययन किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

विधि राक्षय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्राक्षयान शामाल जाता है।

(प) सरकृत पाठ्यपाठ्यालय में प्राप्त हेतु महाविद्यालय प्रवेश दर्ता में 25 वर्ष पाठ्य समाप्तिसार पूर्व / प्राप्ति सोसाइटर में 27 वर्ष से अधिक प्राप्ति वाले आवेदकों की प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(५) विधि संकाय को भोजकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विचार वर्ग/पाठ्यला आवेदकों के लिए आयु रीमा में ३ वर्ष की छूट रहेगी। ~~नियमित विद्यार्थी~~
अधिकारी के लिए: जाति रीमा में उत्तीर्णी व्युत्पादित

9.5 पूर्णवालिक शासनिय/उशासामीय रोयारत् कार्मनारी की उराली दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित का अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रत्युत्ता फरने के बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

9.6 किसी संकाय में रनातक लपाई प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी 'अन्य संकायों के स्नातक ग्राहकम से नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 स्पष्टव्य रथानों वा अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
(१) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिमार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
(२) विधि संकाय प्रश्न कर्ता में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रोणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 प्रथम दर्ज स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतानु नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों की प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के रथान अथवा उसके नियास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के सभीपरथ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विवार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की रीमा से लगे अन्य जिलों के सभीपरथ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के नियास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के सभीपरथ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रयोग दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में अन्य पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रयोग की पात्रता होगी।

115 परन्तु उपरोक्त प्राक्षान रपशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने परी स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण—छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक राज्य में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापन संख्या में से बतौर प्रतिशत सीटें अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापन संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापन संख्या में से बांदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े गांवों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुरूपित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जनजातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन अरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त नह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधासित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यवित्तियों, महिलाओं, भूज्यात्मकों, भूज्यपक्षीयों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों एवं व्यवित्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में श्रेत्रिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
विश्वासुसंशोधनी को उपरवर्द्धकों के अधिकार का विवरण अनुसार आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का नियम उमीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियतानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी। परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी रावर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम रावानी आदि

- का भी है तो संवर्ग की यह रीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित रथान या प्रतिशत $1\frac{1}{2}$ से धग आता है तो आरक्षित रथान उपलब्ध नहीं होगा, $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित रथान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू-कश्मीर विरक्षितों तथा आन्ध्रितों को 5 प्रतिशत तक रीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शारान द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
- 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान गाननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रम डब्ल्यू.पी. (सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अर्थॉरिटी विलद्ध भारत सरकार एवं अन्य संपरित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि — "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समर्त प्रमाण-पत्र-प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्कॉउट्स/गाइड्स/रेञ्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | |
|---|------------|
| (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) राज्य स्तरीय रांचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) नई दिल्ली के गणतांत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जोन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) राष्ट्रपति स्वगुरुद्वास | 10 प्रतिशत |
| (झ) छत्तीसगढ़ का मानेश्वर गान्धी नगर | |

	(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले फैडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले फैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्मूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत
13.2	आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	10 प्रतिशत
13.3	खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विद्यज / लपांकन प्रतियोगिताएँ :- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (2) उपर्युक्त कड़िका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तरसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर्क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगितां में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता ने उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत	
13.4	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
13.5	छत्तीसगढ़ शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :- (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को 10 प्रतिशत प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम —	10 प्रतिशत

13.6 लाभ-कर्त्तवीर को विस्तारित होना सभी अधिकारी को

01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

महत्वीराग राज्य एवं महाविद्यालय को छित मे एवं सी.सी / औलंगा को प्रोत्साहन देने के लिए एवं सी.सी. को राष्ट्रीय रत्न के शासीकृत क्रीड़ा रत्न औलंगाब/पश्चात/राष्ट्रीय अधारिती लोक द्वारा द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रत्न पर अधिकारित छोल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बैरें गुणानुक्रम के अन्तर्गत शिक्षा राज मे उन कक्षाओं मे रीति एवं वेश दिया जाए जिनकी उच्च पात्रता ही है :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संसाधन, छोल एवं गुणक कल्याण, महत्वीराग शासन द्वारा अभिप्रायान्वित किया गया है, एवं

(2) यह सूचिता कोगल उच्ची अध्यार्थियों को जिलेगी जिन्होंने निर्धारित रामायानि के अंतर्गत अपना अवधारेद्वय महाविद्यालय मे प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूर सार प्राप्त करने के लिए एब्जे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु स्वरूप रत्न के पिछले चार कमिका रात्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या चिति प्रथम वर्ष मे प्रवेश हेतु विनात तीन कमिका रात्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष मे प्रवेश हेतु पूर्व सज्ज के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे आईकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश द्वारा वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर पेय होगा। महाविद्यालय मे स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष मे एक बार प्रवेश लेने के बाद घर्तमान सज्ज के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 रिटार्डर तक या यिलाय से मुख्य परीक्षा परिण आने पर केंद्रिका 2.2 मे उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची मे अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों मे पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति मे सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र मे आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय मे पदरथ मान्य प्राप्तांक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवगतश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप मे कार्यरत हैं तो राज्य अधिकारी द्वारा प्रेषित उपरिधित प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदवी प्राध्यापक सुपरियाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संरक्षा में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण—पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुदित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्तन/सलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.B.)


(डॉ. किरण राजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)


W (B10)

कार्यालय, आयुक्ता, उच्च शिक्षा
 ब्लॉक-री-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,
 अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

कमाक/२५३० ८८७ /आउशि/ समन्वय/2019
 प्रति ।

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९



1. युवा संघिय,
समस्त प्रशिक्षणालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अन्य भाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

पिष्य :-

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
 अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमाक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल
 नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
 छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है।
 प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
 छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
 करना सुनिश्चित करायें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाति)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ. कमाक/२५३० ८८७ /आउशि/ समन्वय/2019
 प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ विलासपुर/ जगदलपुर/
 अविकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

प्रेषा प्रमत्ति

24/5/19

PRINCIPAL
 Govt. P.G. College
 Dhamtari (C.G.)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी गढ़न, अटल नगर

जिला-रायपुर

—00—

क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24 / 5 / 2019
प्रति.

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषयः—

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश

संदर्भः—

मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

—00—

विषयात्मक संबंधित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।



(अधिकारी मेहेकर)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 17-95 / 2017 / 38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय, मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग।।
की ओर सूचनार्थ अंग्रेजित।
- गार्ड फाईल।


अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग


PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

छत्तीसगढ़ राजन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवृत्ति के लिए आवेदनक सिद्धान्त

सत्र 2019-20

प्रयुक्ति :-

ये नामदातक नियम छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश ब्राह्मण 6 एवं 7 के प्रबंधान के सुनियन्ति वरते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करनु होगा। "प्रवेश हेतु आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम रोमेस्टर तथा स्नातकोत्तर उत्तर के पूर्व अथवा प्रथम रोमेस्टर से है।

प्रवेश की तिथि :-

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना घटना पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व सस्था के संवित्रित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित नियम उपने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्नातकोत्तर प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति व अन्यानी से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जुन) अथवा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के तहत भी प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कड़िका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहते याले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिवर्ट देने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जायेंगे किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व नियम महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "(a)" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार यिसी कक्षा में प्रवेश नियम वा उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के लिए नियमेवालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिवर्ट स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया किया। आवेदक "(b)" ने उसके बाद स्थान (ब) में उसके पालक का स्थानांतरण के लिए नि-

पुनर्जीवन में वापीस नहीं हिता शिखि लक्षण के स्थान (१) पर स्थानात्तरण का नियम है। अधिकारियों ने जीवा हिता लक्षण के स्थान पर विशेष विधि द्वारा उत्तीर्ण छात्रों के बाहर आगे दूर किए जाना चाहिया।

२३ पुनर्जीवन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना।

२४ इनमें के अंतिमिका अन्य सकारात्मक गुणानुक्रम में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्जीवन के बाहर आगे के १५ दिन तक संबंधित विशेषियालय के कुलपति की अनुमति के साथ गुणानुक्रम में आगे पर प्रवेश की पात्रता होती। किन्तु वाधि सकारात्मक स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही इनमें देखा जायेगा। १२ वीं कक्षा में पुनर्जीवन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं का भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होती।

३ प्रवेश सत्या का निर्धारण :-

३१ नियमालामें लघुलवा साधनों सत्या कक्षा में धैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध गुणानुक्रम - उपयोग व्योम सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। दरि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु, छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे ३० अप्रैल तक अपना प्रत्यावर्त उच्च शिक्षा संचालनालय को ब्रेविट करें तथा 'उच्च शिक्षा संचालनालय एवं एक्सा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वहे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कायदाही करें।'

३२ उन उच्चालय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित ग्राहकों के अनुसार अधिकतम ८० विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम ५ सेक्षण) में उन गुणानुक्रम-के आधार पर दिया जावें। सामृद्ध विशेषियालय/रवशासी महाविद्यालय द्वारा उपयोग कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य जाने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार उन प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :-

३३ जाने हुए प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की रुचना देते हुए प्रवेश हेतु व्यापक विद्यार्थियों की अट्ठवर्गी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जंहाँ अधिगार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जाएगी।

३४ प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रगाण पत्रों की प्रतियों को गूल प्रगाण पत्रों से गिलान कर द्याया जाने एवं स्थानांतरण प्रगाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने को परवात ही प्रवेश करने की जाएगी। प्रवेश देने पर ताल्काल द्वारा स्थानांतरण प्रगाण-पत्र

३५ "प्राप्त दिया गया" की मोहर लगाकर उसे स्दूर करना चाहिये।

સુરત શહેર માટે

ବିନ୍ଦୁ ପାଇରାମ କଣ୍ଠ

- १०) इनीटियेटिव के पूर्ण स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समितियाँ निवारी / शब्द या कानून लानकर के लालालीय परिचारि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सभा प्राकृतिक विभिन्न कानूनों के बीच द्वारा शामिल होने वाला भौतिक सम्बन्ध वाला समाजित व्यापकाधिक समझनों के बीचारे विभिन्न पदार्थों अंतर्राष्ट्रीय हो ते हुए, उसके पूर्ति/पुरियों एवं जमू काशीर के द्वारा द्वारा उनके आधिकों को भी आशाधिय, पुष्टिविवाहियों में घोषणा दिया जायेगा। अत्रिकानुसार परेश देवो के पश्चात भी रणनीति होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वाले एवं अद्वितीय परिवार वर्गों आवेदकों की नियमनुसार युणानुक्रम के अधार पर परेश नियम लाया रखकरा है।

११) भिस्टियेटिव रोड राष्ट्रीय विष्वविवाहिय द्वारा मान्यता प्राप्त नियालयों से अपने गठित वर्गों आवेदकों को भी मानियालय में परेश को मान्यता होगी। अत्रिकानुसार यात्रिक विष्वविवाहिय रोड वाजता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात वह आवेदकों को परेश प्रदान किया जाए।

- (i) १०+२ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। बिना विभिन्न और वेळा समय के आवेदकों का विज्ञान सकाय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ली.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में छिंटी ली.सी.सकाय से उत्तीर्ण छात्रों के प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) ली.एस.सी. पर फ्राम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं कीपायी करने की अनुमति दी जाएगी वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर फ्राम परिक्षान की पात्रता नहीं होगी।

३.३ स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (i) ली.को.फॉ./ली.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ली.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश्वर एम.को.फॉ./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषयों द्वारा ली.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पढ़ाते की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (iii) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित आर्टिस्ट तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 २. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

३.४ विधि सकाय नियमित प्रवेश :-

- (i) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ii) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ए.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (iii) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश्वर एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

३.५ प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुरूपित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्व में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनुरूपित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को

साम्यवादी परीक्षा

- प्राचार्य ने भी अपने नोट्समध्ये एनुकूलन (सी.वी.एस.ई.) इंडियन कौरिल फार संकेट्टरी
कॉर्स (इंडियन एस.ई.) का जन सभ्यों के विद्यालयों/इंस्टीग्यूट घोड़ की 10+2 के
प्रतिक्रिया विद्यालयों द्वारा नाम्बन की 10+2 परीक्षा के समक्ष मान्य है। प्राचार्य साम्य विभाग के
प्रतिक्रिया विद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।
- प्राचार्य नाम्बन के 10+2 विद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ
इंडिया) के नाम्बन हैं उनकी भारत परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के
प्रतिक्रिया मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU के छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित
हैं, विन्दु सभ्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय
नाम्बन आयोग ने दिल्ली के निर्देशनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी
प्रतिक्रिया विद्यालय आयोग शिक्षणिक संस्था के छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केंद्र/ऑफ कॉर्स
आयोग द्वारा छात्र छात्राओं की प्रवेश देने/डिप्लोमा देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी
विद्यालय से डिप्लोमा/डिलोगा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- दूसरे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं
छत्तीसगढ़ अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन
छत्तीसगढ़ या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध
प्रतिक्रिया से प्राप्त करें।
- ३६ २०१२ में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualifications
Framework) के अंतर्गत छत्तीर्ण आयोगों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर
में पाठ्यक्रमों में लाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राधनिकता
दर्शाने की जाए।
- भारतीयविद्यालय अनुदान आयोग के अद्वासकीय पत्र क्रमांक
१-५२/२०१३(ठीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, २०१४ के अनुसार —

जैसा कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय
कार्यक्रम अहंता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संराधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय
कार्यवायक शिक्षण अहंता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण
(एम) का निर्माण किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह
१०-१० वर्ष तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें रत्नर ५ से रत्नर १० तक के प्रमाण
१०-१० वर्ष से एवं रत्नर १ से रत्नर ५ तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध
१०-१० २०१२ व आगामी किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुरागण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों
में पाठ्यक्रम प्ररत्नागति किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को

के प्रभावी रूप संग्रह 10-2 विषयों की तरीफ में इनमें स्नातक एवं पद्धति अधिकारी, ग्राहक अधिकारी एवं विद्यार्थी के बारे में कि ऐसा छात्र जो विश्वविद्यालय एवं भारतीय विद्यालयों में स्नातक, पूर्व उपीची भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने की हक्कता है तथा जिनके 10-12 विषयों में स्नातकाधिक विषय वे वे अलगभावसे विभिन्न में छाने। अतः वे आपसी प्रभावी हैं कि विषय सम्बन्धी द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी विषय पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास विषय जो रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों के अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्रार्थनिकता प्रदान की जाय, ताकि उन छात्रों की आवृत्तिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।

आद्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 अधिकारी स्नातक वी.ए./ वी.कॉम./ वी.एस.-सी./ वी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से भौतीय समूह के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है कि उन्हें विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने विचली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। अन्यसमेत डी.टी.वी.विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 अधिकारी स्नातक के बाहर रिथ्ट विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की अन्य द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा का प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी नो उपरान्त की झट्टी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना आविधाय है।

- 7.3 निम्न एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यारी आवेदकों को रथान रिक्त होने पर तथा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व भागी को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर ग्राहक प्रायोगिक कार्य काल का अनुग्राम प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अरथार्थी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अरथार्थी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

- 8.1 10-2 विषय स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त कियागात आवेदकों को अगली कक्षा में रथान रिक्त होने पर अरथार्थी प्रवेश की पात्रता होगी।

१३) संकाय वर्ष, नियम को नियमित रूप से अप्रतिकृति की गयी। आवेदकों को संकाय की उत्तमता प्रदान की जाना चाहिए।
१४) अवेदक विविध २ के खण्ड १ व २ के आवेदकों को उत्तमता प्रदान की जाना चाहिए।
१५) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अधिकारी प्रवेश प्राप्ति छात्र/भावालय की अनुशासित विद्या विभाग की जावेगा। अतीती होने पर अधिकारी प्रवेश नियमित रूप से की जाएगी।

प्रवेश हेतु अद्यताएँ -

किसी भी गताधिकालय/विश्वविद्यालय शिक्षण नियम के किसी संकाय में प्रवेश भाव/छात्राओं को उसी संकाय की उच्ची कक्षा में पुनर्नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं है। इसीलिए अवेदक ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया तो उसे अवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहु नहीं माना जायेगा। उसे पात्र पूर्व स्थानांतरण प्राप्ति विभाग यह नियम से प्रगतिशील हो कि पूर्वी में उसने प्रवेश नहीं लिया है, कि अधिकार पर अनुशासित प्रवेश दिया जायेगा।

- १६) नियमके विरुद्ध स्थायालय में घालान प्रस्तुत किया गया हो या स्थायालय में अपराधिक प्रकरण रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ अविद्याएँ पारपाई करने के गंभीर आरोप हों/वेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुए हों। ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
१७) स्थायालय में टोडफोड करने और सहाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेमिंग के छात्रों/छात्राओं का प्रवेश नियमित करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। नियम इस हेतु समिति गठित कर जॉब कर्पोरेशन एवं जॉब रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश नियम लागू। ऐसे छात्र-छात्राओं को छल्तीसंगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय अधिकारी द्वारा देने प्रवेश न दिया जावे।
१८) प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

- (१) स्नातक प्रथम वर्ष में २२ वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वंद्व/प्रथम सेमेस्टर में २७ वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की माना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की दिनती से की जायेगी। छिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर छिप्लोमा में प्रवेश हेतु नियमित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः २७ वर्ष मात्र की जाएगी।
(२) आयु सीमा का संधान किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के भावालय/कायालय द्वारा उनके द्वारा नियमित संस्थाओं द्वारा प्राप्तों व अनुशासित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयुंनियमित अधिकारी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन हेतु नज़ेरे गये छात्रों अधिकारी विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी भूमि में पेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
(३) साकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

- (i) संकेत ग्रन्थियांचामुळे उत्तरांचली प्रवेश करने वाले अंगरेजों ने अपनी दृष्टि द्वारा उत्तरांचली प्रवेश मध्ये शासनिक भाष्य वाले आंदोलन का उत्तरांचली अध्ययन किया।

(ii) किंतु संकाय को ओडिशा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/मिथिला गविला आवेदनाते के लिए आयु लीगा में उत्तर की छठ दोषीता नियमान् अंगरेजों के लिए आयु लीगा में उत्तर की छठ दोषीता।

(iii) उत्तरांचली सारांशिय/अण्णाराजीय संवादत् कामेलाई की उसकी दैनिक कार्य की अपूर्वन् वाले स्नातविद्यालय में नियमित प्रवेश की प्राप्तता नहीं होती। दैनिक कर्तव्य अवृत्तविद्यालय वाले पहाड़विद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक हास्य नियमान् अनुसूचित दोषीता पर प्रत्युत्तर करने के बाद ही प्रवेश दिया जातगा।

(iv) किंतु संकाय में स्नातक उत्तरांशि प्राप्ति छात्र/छात्राओं को नियमी अन्य संकायों का पालनकर्ता में नियमित प्रवेश की प्राप्तता नहीं होती।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

11. 1. उत्तरांशि स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियमानुसार गुणानुक्रम से किया जायेग।
(क) स्नातक स्व स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अंकों द्वारा दी जानी वाली अधिभार खोड़कर प्राप्ति कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
(ख) विषि स्नातक प्रथम वर्ष में स्वाक्षर विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान विश्वविद्यालय हासा नियमित नापद्धतियों के अनुसार होगी।

12. अन्यान्यों एवं जाइंटेट श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

13. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

14. 1. फ्रेंच नाम स्नातक/स्नातकोत्तर/विषि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा अंकों नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षायी/स्वाक्षर्यी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
2. स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा ने उत्तीर्ण अंकों भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्ति पूर्व सत्र के नियमित/स्वाक्षर विषयों के कम में होगा।

15. विषि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परतु 48 एडीमेट प्राप्ति वाले अंकों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाने अन्य कम प्राप्तता रहेगा।

16. 1. अंगरेज द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ अशक्त उसके नियमानुसार उत्तीर्ण विषय में रिक्त या आराधार के अन्य जिले के समीपस्थि स्थानों पर रियासतविद्यालय में अनोदित विषय/विषय समूह के आध्यात्म की सुझाव होने पर ऐसे आवेदक जातेहानी/जिलों की लीगा से लिये अन्य जिलों के समीपस्थि स्थानों के आंदोलकों विषयोंका द्वारा दूसरे प्रवेश दिया जाने आवेदक के निवास स्थान/तह जिले/जिलों में रिक्त अराधार के अन्य जिलों के समीपस्थि रिक्त गवाहविद्यालय में आनोदित विषय/विषय समूह

लोगों के द्वारा लिखी गई यह अनुक्रम का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका उपयोग जो अब भी करना चाहिए तो यह आज तक बहुत अधिक लोगों द्वारा किसी विशेष लागू नहीं किया जा सकता। इसका उपयोग लोगों को अन्य लिपयों के समानांतर लिखने में वाहन नहीं दिया जा सकता।

अनुक्रमानुसार लिखने की वायाप्ति के अनुक्रम विधान-व्यवस्था रूपम् -

(i) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता। लोगों का नाम अर्थात्

(ii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता। लोगों का नाम अर्थात्

(iii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(iv) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(v) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(vi) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

इनमें जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सांख यात्र विधायियों के अधिकारों के विषय अधिगतियों पर विकल रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों के अधिकारों का में यात्र विधायियों में से घोषित किया जाएगा।

इनमें जो अनुसूचित परिषुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम विधियों पर विकल रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों के अधिकारों में घोषित किया जाएगा।

(vii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(viii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता। लोगों को आरक्षित विधायियों के लिए अधिसूचित विधियों जाएगा।

(ix) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(x) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(xi) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(xii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

(xiii) अनुक्रम रूप में लिखे गए लोगों को आख्याय तथा किसी वैशिष्ट्यक संख्या में उल्लेख नहीं किया जाता।

न तो ३ तो सार्वजनीकी पालन-खोल द्वारा आरक्षित श्रेणी में परीक्षा नहीं जाकरी, साथ सर्वम्
जी जाएगी।

- 12.7 अधिकार स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं।
12.8 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान को संख्या एक होगी।
12.9 सभी काश्मीर निरसापिली तथा आश्रितों को ५ प्रतिशत तक रोट बढ़ा कर प्रदान दिया जाएगा।
12.10 नवाचार का में 10 प्रतिशत की छह दराएँ प्रदान की जाएगी।
12.11 सभी समय पर शासन द्वारा जारी आख्यान नियमों का पालन किया जाए।
12.12 अधिकारी १२.१ में दर्शाई गई आख्यान के प्रावधान मानवीय उच्च न्यायालय लिलासपुर की ओर से लाभान्वयन लहान।
12.13 जीवित लिए के व्यक्तियों को मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण फैलाया था (सी) ४००/२०१२ नेशनल लीगल रिडिरीस अर्थात् भारत सरकार एवं उन परिवर्त विधि दियाक १५.०४.२०१४ की कड़िका १२९(३) में यह निर्देश दिया गया है कि "direct the Centre and the State Government to take steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

अधिभार :-

आंदोलन भाव युणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु उपरोक्त नहीं किया जायेगा। अंहकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रगणन-प्रबन्ध-प्रदेश आवेदन-पत्र के साथ सलग करना अनिवार्य आवेदन-पत्र जमा करने के खलात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु विवाद नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सह अधिभार ही देंय होगा।

१३. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउटर्स

१३.१ शब्द को स्काउटर्स/गाइड्स/रेजार्स/रोवर्स के अर्थ में पठ जाए।

- | | |
|--|------------|
| (अ) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" स्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (इ) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" स्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटर्स | 03 प्रतिशत |
| (ब) "सी" स्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटर्स | 04 प्रतिशत |
| (द) राज्य राजीव संचालनालीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में युप का प्रतिभिजितव्य करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (ग) नई दिल्ली के गणराज विवास परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कॉर्टिजोन्स में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (घ) राज्यपाल समितर्स | 05 प्रतिशत |
| (ङ) राष्ट्रप्रधान रक्षात्मक | 10 प्रतिशत |
| (ज) उत्तीर्णपाठ वा गार्हियल जाति की जेहाज | 10 प्रतिशत |

(v)	भारत एवं अन्य सांस्कृतिक के बीच यूथ एकरोड़ेज प्रोग्राम में वाले वाले को एक सीली / फैला एवं एसा के लिए वापिस एवं प्रकाश करने वाले कैफेट को अन्तर्राष्ट्रीय वापिस के लिए वापिस वाले वाले विद्यार्थियों को अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय में उत्तीर्ण विद्यार्थी को सांवादित रूप से उत्तीर्ण विद्यालय में वापिस लेने पर	15 प्रतिशत
(vi)	विद्यार्थी विद्यालय / सांस्कृतिक / विद्याज / रुपांकन प्रतियोगिताएं	10 प्रतिशत
(vii)	विद्यार्थी विद्यालय अथवा उत्तीर्ण उत्तीर्ण विद्यालय द्वारा आयोजित विद्यार्थी राष्ट्रीय रूप से अधिकारी के द्वारा विद्यालय रागदन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में	5 प्रतिशत
(viii)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त दीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ix)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत
(x)	उपर्युक्त कोडेन्ड 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग / विद्यालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रूप से अधिकारी के द्वारा विद्यालय समर्थन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अधिकारी भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अधिकारी संसदीय कार्य विद्यालय द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में	45 प्रतिशत
(xi)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त दीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(xii)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(xiii)	संघान द्वारा विद्यार्थी विद्यालय वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत
(xiv)	भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य विद्यालय, भारत सरकार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में	25 प्रतिशत
(xv)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली दीम के सदस्यों को	15 प्रतिशत
(xvi)	प्रथम, द्वितीय अधिकारी तृतीय स्थान अंजित करने वाली दीम के सदस्यों को	12 प्रतिशत
(xvii)	द्वारा विद्यार्थी विद्यालय करने वाले प्रतियोगी को	10 प्रतिशत
(xviii)	भारत एवं अन्य सांस्कृतिक के मध्य यूथ अधिकारी राइट्स एवं कल्याचल एकरोड़ेज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / विद्यार्थी विद्यालय एवं प्रान्तीय विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता	10 प्रतिशत
(xix)	विद्यार्थी विद्यालय द्वारा आयोजित एवं प्रान्तीय विद्यालय द्वारा दल के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(xx)	विद्यार्थी विद्यालय द्वारा आयोजित एवं प्रान्तीय विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता	10 प्रतिशत
(xxi)	विद्यार्थी विद्यालय द्वारा आयोजित एवं प्रान्तीय विद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता	10 प्रतिशत
(xxii)	प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली भौतिक्यान दीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत
(xxiii)	प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली भौतिक्यान दीम के सदस्यों को	10 प्रतिशत

1300-1310

“... दोनों वर्ष तक नियमित रूप से एवं लोकों / ब्रह्मकुद के ग्रामस्थल देखे के लिए
उत्तरी ओर दक्षिणी ओर के उत्तरोष्ट क्षेत्रोंसे आगा जीवनशास्त्र/एशियाड/स्पॉटर्स
यार्ड्स/ अंक ट्रॉफी ग्राम शैक्षणिक पर्यावरणीय राज्य पर अधिकारित यहाँ प्रतियोगिता ने
जल्दी से जल्दी इसकी विश्वासीता की अपार्वी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में संचालित
किया गया है।

२० ये विपेक्षी कवयता उनकी अध्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समाचारों के अन्तर्गत अध्यावेदन ग्रन्थाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की मुश्विधा दूसरी एवं प्राप्ति करने के लिए कुनै उपलब्धि पुनः प्राप्त करना अविश्वक नहीं।

१०८ यहाँ वे प्रवेश हेतु स्नातक सत्र के पिछली गार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर, उनमें से जिसे प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विभाग दीन कमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हैं, उन्हें इस बायेग। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व उनके प्रमाण पत्र अधिभार हेतु आव्य होंगे।

१०८ / विषय / युप परिषद्गत :-

प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम्भ निर्धारित करने की प्रयत्न को में अहंकारी परीक्षा के संकाय/विषय/घुप परिवर्तन कर प्रवेश करने की विद्यालयों को उनके प्राप्तान्कों से ५ प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम्भ निर्धारित

उसका अधिग्राह धर्ते हुये प्राप्तांकों पर देख होगा। पहाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर वर्ष २०१८ में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दीर्घ संकाय / विषय / ग्रन्थ परिचयनं परिचयनं

१० अमरीका नाम्परेलालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलाय से मुख्य परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने की अपील की गई थी।

“अन्यथा विद्यार्थीयों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवित्ति विषय/सकार की मूल दुष्करण गति में अतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समक्ष या उससे अधिक हों।

संग्रह ४

प्रतिक्रिया करने वालों ने भी एक ही के शोध आओं को दो तर्ज़ के लिये प्रदर्श दिखा दियेगा।

जिरारिता के अनुसार पर अधिकतम ५ वर्ष कर सकेंगे। छात्र जिरारिता आवंदन पत्र में आवंदन की वापसी के बाद जिरारित शैक्षणिक जग्या करने के बाहे लि भिरारित पत्र की

प्राचीन भारत के लिये संबंधित प्रश्नविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय नियम भारतीय सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा जिम्मेदार है।

એ ને વિવિધ રૂપોમાં મળતું જાય કે અદ્ભુત હી
જીવની જીવનની અનુભૂતિ અનુભૂતિ અનુભૂતિ અનુભૂતિ અનુભૂતિ

१८७ विद्यु-विद्या एवं विद्युति योग विद्यायां अधिकारी श्रम लाभ विद्या वा विद्युति विद्या आहे।

मुख्यमंत्री ने पदवर्षे 'प्रार्थित' सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण को जारी की। वहाँ भौतिक रूप से अपना शोष कर्त्ता चाहुँ रख सकते हैं जब उसका विकास और विस्तार होना बहुत शोष कर्त्ता को मुश्किल देता है।

100

मिलाया गया। मिली जानकारी, जानवृक्षों के उपाय गये प्रतिकूल तथा प्रशासनीय अवसरों का सामाजिक विवरण बढ़ावे किए आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रदेशों में जहाँ भूजे वाहिने प्राकार्य को होगा।

लोक विनायकी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह
पहले दिया जाकर अनुपरिणाम रहने वाले विद्यार्थी, जो प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राप्त
होता है।

- १०३ प्रदेश का गांद सब के दौरान कंडिका ९.२ एवं ९.३ मे वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों का विवारणी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसी निष्कासित करने का अधिकार प्राप्तायं दिया।

१०४ प्रवेश का गांद सब के दौरान विद्यार्थी हारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त करने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति मे विद्यार्थी को सरोकृत निधि के अतिरिक्त ५५५ शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

१०५ कार्यदर्शक रिट्रॉटो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण मे भार्गदर्शन की विवादाता होने पर प्रावाच्य प्रकरण मे अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिभृत ढंगे हुए बोलना/ भार्गदर्शन आयुका, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करने, प्रवेश संबंधी इसी गो प्रकरण को केवल अप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

१०६ १०६ भार्गदर्शक सिद्धांतों गे उल्लेखित प्रावाचानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुका, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन भार्गदर्शक रिट्रॉटों मे सम्पूर्ण समय पर परिवर्तन, साशोधन, निरसन विभाग का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भज्ञालय को होगा।

all

 PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dharmtar

कार्यालय आयुक्ता उच्च शिक्षा
सी-३, क्षेत्रीय पर्यावरण तल, अन्द्रायती भवन,
नगा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

--00--

क्रमांक ५७२/१४९ आठशि / सम / २०२०
परि.

नगा रायपुर अटल नगर दिनांक ०७/८/२०

- १ घूलसाधिय
समरत विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
- २ प्राच्यार्थ
समरत अंग्रेजी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय - छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सात्र २०२०-२१ हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
सदर्भ अधर सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/२०१७/३८-२
नवा रायपुर अटल नगर दिनांक २९.०६.२०२०।

--00--

उपरोक्त विषयांत संदर्भित संबंधित पत्र के अनुक्रम में लेख है, कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग
के सदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सात्र २०२०-२१ हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका
सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०२०-२१ की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समरत शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छापाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०२०-२१ में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करायें।

रालग्न - उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. एच.एस.कर)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नगा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक ५७३/१४९ आठशि / सम / २०२० नदा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०७/८/२०

प्रतिलिपि

- १ उच्चर सचिव, छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मन्त्रालय को संदर्भित पत्र के परिपेक्ष में सूचनार्थ
प्रेषित।
- २ क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/
अदिकापुर/दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

नगा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.B.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानगरी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
शिक्षा-रायपुर

१०८६(८५),
सेक्टर-४ आवासानि इलाहा
१०८६-११। २०१० ई।

.....००.....

क्रमांक एफ १७-९६/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, विनांक १०८६-११-२०१०

आयुक्त,
उच्च शिक्षा मंत्रालयालय,
इंद्रायणी भवन,
नवा रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय— छत्तीसगढ़ के शिक्षणिक संस्थाओं को लिये वार्ष 2020-21 हेतु प्रत्येक

मार्गदर्शिका रिकार्ड हीमार ग्राहने बाबत।

संदर्भ— आपका ज्ञापन क्रमांक ४१८/१४०/आडीशि/शाम/2020 विनांक २८.०६.

2020

.....००.....

विषयालात्त संदर्भित प्रस्ताव का अध्ययन करें।

२/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अधीनीत संस्थानिक शिक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुदानित भवेष गार्गदर्शिका रिकार्ड की पक्क प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संस्थानिक शिक्षणिक संस्थानिका की प्रति उपलब्ध बाराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों या घट्टांश्च भी पालन किये जाने हेतु निर्देशित बनाने का कष्ट वर्ण।

सलाह— उपरोक्तानुसार।


(रायपुर शैक्षणिक नियमाला)

प्रधान सचिव

छठगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ १७-९६/२०१७/३८-२ नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, विनांक

प्रतिलिपि—

- विशेष सहायक, माननीय गंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
- निदेश, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अंग्रेजित।
- गार्ड फाईल।

अयर सचिव
छठगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स.पु.(की)

P
PRINCIPAL
Gout. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

21/7/20
T.D. D...

छत्तीसगढ़ के शासकीय
महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
प्रतीक्षण के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक रिकार्ड
सत्र 2020-21

1. प्रधुपित :-
प्रधुपित छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ में मानदण्डित रिकार्ड स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ १२ वर्षात्मक अधिनियम-१९७३ के तहत अध्यादेश क्रमांक ६ एवं ७ के प्राधान्य के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करें।
2. सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन करना देश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कलाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम घर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।
3. प्रवेश की तिथि :-
प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-
इस वर्ष विश्वविद्यालय संतर पर प्रवेश हेतु "ऑफलाइन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जिहाने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑफलाइन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।
(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाइन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक हारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य हारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय हारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था निर्धारित प्राचार्य हारा प्रमाणित किये जाने पर जिन अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जाएंगे।
4. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
स्थानांतरण प्रकारण को छोड़कर ०१ अगस्त से ३१ अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा १५ सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि ०१ अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के १५ दिन के भीतर) शासन हारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से १० दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड हारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से १५ दिन तक, जो भी पहले हो जान्य होगी। कंडिका ५.१ (क),

वे उल्लेखित गतिशील होते पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहिए तो उनके पूर्व-पुरुषों का स्थान रिक्त होने पर ही रात्र के दीगन प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कठीनारी द्वारा कांगारू पहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना यह आवेदक का प्रयोग से तु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य मात्राविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक को ने किसी अन्यतर स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के बिन्दी महाविद्यालय में आब वह प्रवेश लेना थाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहिए है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -
विधि सकाय के अतिरिक्त अन्य सकायों के पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कूलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकाय की कक्षाओं ने गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान लिया होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री, एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार-महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या भी सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपने प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष (एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम वी.एल.एल.बी. की कक्षाओं वार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेवश (अधिकतम 4 सेवशन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों प्रवेश देंगे।

प्रदेश रूपी :-

प्रदेशी द्वारा प्रदेश रूपी तथा कर्मी की विधियाँ अपने लिये की उपयोग होते हैं। प्रदेशी विधियाँ की अहंकारी विधियाँ ने स्थानान्तरी पर उपयोगिता होती है जब विधियाँ विकास के बाहर स्थानान्तरी की भूमिका गुणी प्रविष्टि अपने लिये स्थान का लाभ करती हैं।

उपर लिखी हुई आवश्यक राजनीति प्रमाण वज्रों की प्रविष्टि का मूल प्रमाण वज्रों की विधियाँ हैं। इसके लिये जाने एक स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के लकड़ा है 100/-।

शुल्क जमा करने की अनुमति ही जारी है। प्रदेश देने के लकड़ाल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र

एवं प्रदेश दिया गया की गोहर संग्राहक उसे रद्द करना चाहिए।

4.3 नियमित शुल्क जमा करने पर ही गहायिदालय ने प्रदेश माना होगा। प्रदेश के लकड़ाल नियमित शुल्क जमा करने की गहायिदालय ने प्रदेश माना होगा। प्रदेश के लकड़ाल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को नियम से लीज समाजीक अनिवार्य राज में विवर कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रदेश रूपी की शुल्क जमा करने की अंतिम विधि के बाद स्थान दिया होने का समीक्षण द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र द्वारा जाने की विधि है, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में छालाजो से नियमानुसार प्रदेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अपासकीय रूप में विधिवत्ता से प्रसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितंबर के पारदात प्रदेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (बुल्लीकेट) के आधार पर प्रदेश नहीं दिया जाये। स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र द्वारा जाने की विधि में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रदेश प्राप्त सम्भा से अदिक्षित एवं आईआर दर्ज किया जाये। इस हेतु विद्यार्थी से वचन दब्र लिया जाये।

4.6 होने की विधि में ही प्रदेश दिया जाःसकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन दब्र लिया जाये। गहायिदालय के प्राचार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र शैगिं/अनुशारानहीनता/होड़कोड़ आदि ने राजियन है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रीलाइन्ड लिफाफे में बन्द कर उस नहायिदालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रदेश के लिए आदेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा, शासकीय गहायिदालयों में अध्ययनरत, स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त नियमों का पालन किया जाए।

प्रदेश की पात्रता :-

निवासी पृष्ठ अहंकारी परीक्षा :-

(क) प्रत्तीसागढ़ के पुल/रक्षाई उत्तीसागढ़ में स्थायी संपत्तिदारी नियासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी अवैशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारी की नामेवारी, राष्ट्रीयकृत दैक्षिण भारत सरकार द्वारा सचालित व्यावसायिक तागठनी के कर्मचारी जिनका पदाधिक उत्तीसागढ़ में है, उनकी पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के

प्रियोगितों तथा उनके आधिकारी को ही ग्राहकीय मानविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। अत्रोत्तरानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी राजन रिता होने पर अन्य शास्त्रों के मान्यता प्राप्त भी हैं एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गृणानुक्रम के अधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (iii) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय हारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / दोर्ले से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही मानविद्यालय में प्रवेश की फांसी होगी।
- (iv) अवधिग्रन्तानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश पदान दिया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अन्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/ द्वितीय वर्ष वीं परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कमशः द्वितीय/ तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./ बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः एम.कॉम./ एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/ एम.ए - प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/ एम.ए -प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए प्रथम सेमेस्टर/ पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिशिक्षित अहंता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/ अहंता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए नियारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

मिथि शक्ति विकास परेश

- (१) राजाक वरीया उत्तीर्ण आवेदकों को मिथि राजाक प्रबन्ध वर्ते में नियमित प्रोत्साहनी दीजिए।
- (२) मिथि राजाक वरीया उत्तीर्ण आवेदकों को एलएलएस प्रबन्ध वर्ते में नियमित सुवेश दीजिए।
- (३) एलएलसी प्रबन्ध रोमेस्टर एवं एलएलएस प्रबन्ध रोमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को कमाल एलएलसी रोमेस्टर एवं एलएलएस प्रबन्ध रोमेस्टर में प्रोत्साहनी दीजिए। इसी प्रकार तुलीम भार्या, पंचम रोमेस्टर वे गी प्रोत्साहनी दीजी प्रक्रिया लगा दीजिए।

५.५ प्रोत्साहनी वरीया वे व्यवसाय अंक दीजिए—

- (४) विविध राजाक प्रबन्ध वर्ते में प्रोत्साहनी व्यवसाय अंक जीमा ५८% (अनुमति जलजाति/अन्तर्राष्ट्रीय जाति) वे व्यवसाय वर्ते ५०%, वाच्य प्रियांग वर्ते ५२% दीजिए। तथा मिथि राजाकोलार प्रबन्ध में ६५% और विश्वविद्यालय जलजाति/अनुद्दित जाति/ओडी वी वे व्यवसाय अंक वारेदारों को विश्वविद्यालय प्रोत्साहनी दीजिए।

५.६ ATTENCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रोत्साहन/राजाक पर संबंधित सर्विया को पारावान प्राप्ती होगी।

६ समकक्ष परीक्षा—

- ६.१ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रोकेल्सी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉर्सिल कार रोकेल्सी एज्युकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों की विद्यालयों/इंसर्वीडिएट बोर्ड की १०+२ की परीक्षाएँ भारतीयिक शिक्षा मण्डल वी १०+२ परीक्षा को सम्भाल भार्या है। प्राचार्य भार्या बोर्ड की रूपी व्यावहारिक विश्वविद्यालयों से प्राप्ति कर सकते हैं।

- ६.२ सामान्यतः भारत में विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय ट्रिप (एसोसिएशन ऑफ व्यूनिवर्सिटी) को संबंधित हैं, उनकी समर्ज्जत परीक्षाएँ छत्तीरामगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के व्यूनिवर्सिटी को संबंधित हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU) को छोड़कर जो दूरधारी पाठ्यक्रम संचालित समकक्ष भार्या है। विश्वविद्यालय अथवा वैश्वानिक संस्था को छत्तीरामगढ़ राज्य में आवागमन केंद्र/ऑफ ईम्पर विश्वविद्यालय अथवा वैश्वानिक संस्था को छत्तीरामगढ़ राज्य में आवागमन केंद्र/ऑफ ईम्पर आदि खोलकर लाल-जात्राओं को प्रोत्साहन देने/डिग्री देने की भाव्यता नहीं है तथा ऐसे सरकारी से डिग्री/डिप्लोमा वैश्वानिक रूप से भार्या नहीं होगा।

- ६.३ सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा भार्या फ्रांस विश्वविद्यालय का शिक्षण संसाधनों की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आधीरण द्वारा समर्थ-राग्य पर जारी कर्त्ती अथवा भाव्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संसाधनों जिनकी उपायि भार्या नहीं है, की जानकारी प्राप्तार्थी सामने उपलब्धतालय रो प्राप्त करें।

ਕਾਨੂੰਗੇ ਦੇ ਹਾਸਿਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਸੀਂ ਵਿਖੀ ਦੀ ਹੁਣਾ ਕਿ ਜਾਂਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵ

Digitized by srujanika@gmail.com

3-52 / 2013(रीवी / प्रांतिकम्) अप्रैल, 2014 के लिए

वाह्य आदेदकों का प्रयेश :-

PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.B.)

राजा के भास्तुर को विद्यार्थियों को निर्धारित प्राप्ति में एक शायद—पत्र देना होता हिन्दू
मी पकार वही शूती/गत्तत जानकारी पाए जाने पर सरदिला विद्यार्थी का प्रदेश नियन्त्रण करते
एवं उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बचात कर दिया जाता। अन्य राज्य
के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित योड़/विश्वविद्यालय से कराया
जाना अनिवार्य है।

7.4 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में रवान्धार्यी आवेदकों को स्थान दिया होने पर उन्हें
महाविद्यालय के गृहापूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्राक्कर्मिक कार्य
करने की अनुमति प्राप्तार्थी द्वारा दी जा सकती है।

8 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु नियारित अंतिम तिथि के पूर्व
अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कन्वार्टमेंट) मात्र नियारित
आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान दिया होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होती।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय में पूरक/रटी-केटी प्राप्त उत्तरदातों को अगली
कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में नियारित स्टॉर्नोट 48
प्रतिशत पूरा न करने याते या पूरक, प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की
पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कड़िका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होती।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का उत्तरदातों द्वारा उत्तर
निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में नन्य किए
जावेगा।

9 प्रवेश हेतु अहंतार्प -

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में इन्द्रेय आवृ
छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/ वर्षों में दुन नियारित एवं
की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियारित इन्द्रेय नहीं
लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनह नहीं माना जावेगा। उत्तर का दूसरा
स्थानांतरण प्रमाण—पत्र तथा शपथ—पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उत्तरने इन्द्रेय नहीं लिया
है उस आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विस्तृद्व न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक उत्तर
दल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए
दुर्बालवाहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चैताघनी के बाद भी सुधार परिवर्तित नहीं हुन्हे
हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए शार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रोगी के
आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
प्राचार्य दस हेत समिति गठित कर जौध करवाये एवं जौध रिपोर्ट के आधार पर इन्द्रेय निरस्त

प्राचीन एवं अधिकारीय आदानों वाली गैर-भाषणिकता का आकार अहंकारी परिवर्तन में उत्तीर्ण
विभिन्न / उत्तीर्ण भूमध्ये / विभिन्न / एक विधि में पूरक ग्राह पूर्ति रथ के विभिन्न / उत्तीर्ण
विभिन्नों के बारे में होगा।

- 11.1 विभिन्न रोकार्य विभिन्न वालों वालों के पासे उत्तीर्ण परतु जब एकीजोड़ पाज करने
वाले वालों वाले भाषणिकता के आकार पर प्रवेश दिया जाते अस्य कर भावत रहेगा।
- 11.4 रणात्मक रूपरेखा के विभिन्न विधियाँ वाले पूर्ण वर्ण में प्रवेश के लिए प्रवेश के विभिन्न विधियाँ
रणात्मकता में प्रवेश के आद्य रूपान्वयों / वाहशीलों / विभिन्न के विभागात्मक अभ्यास परीक्षा उत्तीर्ण
करने वाले आधिकार्य विभागीयों वाले विभिन्न गुणात्मकताएँ प्रवेश दिया जाए।
- 11.6 विभिन्न एक विधि यही रणात्मकता पूर्ण उत्तीर्ण विधियों को अस्य विधि की रणात्मकता र
कक्षा में प्रवेश गणात्मकता में रणात्मकता रहने वाली विधियों में भी दिया जा सकेगा।
12. आरक्षण अन्तर्राष्ट्रीय शारांश विभिन्न विधियों वाले अनुरूप विभागानुसार होगा :-
- 12.1 प्रत्येक विभागिक शास्त्र में प्रवेश में शीटों या आरक्षण तथा विभिन्न विभागिक रास्ता में हुसाइ
विभाग विभिन्न विभागिता शीतों से होगा, अर्थात् :-

 - (i) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (ii) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (iii) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (iv) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (v) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (vi) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (vii) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।
 - (viii) अध्ययन वा शंखाय विभिन्न विधियों के लिए आरक्षण रहेगी।

परन्तु यह और कि मूर्खगामी परंतुक में विभिन्न व्यवरथा के पश्चात् भी, जहाँ छण्ड (क),
(ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षण सीटे, अतिग तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे
अन्य पात्र विभागियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) दिनु क 12.1 के छण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण
उच्चाधिकार (यटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- (2) निश्चित व्यवितायों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संघाम
सेनानियों के बच्चों या व्यवितायों के अस्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रिज आरक्षण का
प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के
प्रयोजनों के लिए अधिराचित किया जाए तथा यह दिनु क 12.1 के छण्ड (क) (ख)
तथा (ग) के अधीन यथारित्थि, उच्चाधिकार आरक्षण के भीतर होगा।
- स्वतंत्रता संघाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, गौत्र, घोनियों और नाती/नातिन के लिए
3 प्रतिशत रथान आरक्षित रहेंगे। निश्चित भेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत रथा

मैंने एक में आवश्यक स्थानों में से 20 प्रतिशत सामाजिकी के लिए प्रतिशत दिया।
आर्थिक वर्ष का 40% सामाजिक सार्विकी तक पहुंच के काम करना अपनी कामों की बाधा
को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के लिए युवा होना है तो प्रतिशत सभी की ओर
नियमित अपनाहित होनी चाही जहां वह उसी विद्यालयीन समाज के लिए सामाजिक
सेवाएँ खोली जाएं ही तो उन्होंने जीव और जल सम्पद की ओर भी सामाजिक
विद्यालयीन समाज की ओर भी जाएं जानी।

12.6 आर्थिक समाज का प्रतिशत 1/3 की जगह जाता है तो आर्थिक समाज के लिए
जाती है और प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आगे यह आर्थिक समाज की जगह जाती
होती।

12.7 जाति-जातीय विद्यालयों तथा आधिकारी को 6 प्रतिशत तक लीट गुणि कर प्रतिशत दिया
जाए तथा जलसंग्रह जाता है 10 प्रतिशत की घट वृद्धि जीव जाएगी।

12.8 जनता-जन्म पर जारी जाती जातियों विद्यालय का पालन किया जाए।
12.9 फौलेला 12.1 में दर्शाई गई जातियों के प्राप्तवान गतिनीय जनता जागरूकता विलासार्थ के
विषय के अध्यार्थीय रूपमा।

12.10 एकीक लिख के आगेतरी को जातियों जनताओं जागरूकता इस राष्ट्र में प्रकरण
जनराज बहुमुखी (रजी) 400/2012 नेशनल लीगज रार्टिसेप्ट अधीकारी विलास भारत
दस्तावेज एवं विवर में परिषिक निवारक 16.04.2014 की कांडिका 129(3) में यह
निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to
view them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of
reservation in cases of admissions in educational institutions and for public appointments." का
निर्देश से पालन किया जाए।

13 अधिभार :-
अधिभार गांव गुणानुकूल विवरण के लिये ही प्राप्त विद्या जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु
इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अहंकारी परिवारों के प्रतिशत पर ही अधिभार
देय होगा, अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रतिशत आयोग-पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य
है। आयोग-पत्र जामा करने के परिणाम भाष में लाये जाने/जागा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों
पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र
सरकारीक अधिभार ही वेद्य होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कार्डर्स

(a) सुन्दर वारे स्कार्डर्स/गाइडर्स/ऐजर्स/रोबर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

(b) एन.एस./एन.सी.सी. "ए" स्टार्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(c) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" स्टार्टिफिकेट 03 प्रतिशत

गा. हितीय रोपान उत्तीर्ण स्कार्डर्स

(i) सी. स्टार्टिफिकेट या हितीय सीमान्त उत्तीर्ण रकाउटर्स 04 प्रतिशत

(ii) राज्य रसायीय तंत्रालयालयीन एन.सी.सी. प्रतिशोधिता 04 प्रतिशत

मेरे गुप्त का प्रतिशोधित करने वाले छात्रों को

Signature

05 प्रतिशत

(१) नई दिल्ली के मणिनाथ दिवस परेड में छठीसगढ़ के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कॉटेन्मेंट्स में भाग लेने

वाले विद्यार्थी को

05 प्रतिशत

(२) सञ्चापाल रक्षारूप्तर्स

10 प्रतिशत

(३) राष्ट्रपति रक्षारूप्तर्स

10 प्रतिशत

(४) छठीसगढ़ का सर्वशेष एन.सी.सी. कैंडेट

10 प्रतिशत

(५) लंगूर औफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडेट

(६) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य चूथ राष्ट्रवैज प्रोग्राम में

(७) भाग लेने वाले कैंडेट, एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के लिए

(८) जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत

जम्बूरी के लिए चयनित होने वाले विद्यार्थियों को

10 प्रतिशत

13.2 आनंद विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर

कक्षा में उत्तीर्ण विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सारकृतिक / विवाज / रूपांकन प्रतियोगिताएँ -

(१) लोक शिक्षण सचालनालय अथवा छठीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर

जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर रामाग / क्षेत्र

स्तर प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(२) उपर्युक्त कडिका 13.3 (१) में उल्लेखित विभाग / सचालनालय द्वारा आयोजित अनंतक्षेत्रीय,

राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित

प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय

प्रतियोगिता में -

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(३) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा

आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त

करने वाले को 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अंजित करने वाली टीम

के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) संभागनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

15. शोधचारा

इसका उपर्युक्तालय में की एवं ही की शोध चारों की हो जाने की लिये प्रवेश किया जायेगा। इस सत्रमा / प्राचोरिक दौरान अपूर्ण रहा, जहाँ तक रिपोर्ट में सुपरवाइजर की अनुमति पर पायागे इस समयावधि को अधिकतम 4 दर्ज कर सकेंगे। प्राच नियमित आवेदन पर में भवेदन करेंगे प्रवेश के बाद नियमित शुल्क द्वारा करने के भाव की विवाहित प्रवेश चारों किया जायेगा। शोध छाड़ के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा भी एवं ऐसी विवेचन हेतु वासानिकताएँ में पदस्थ भावना प्राप्त्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा नियमित विभाग के अन्तर्गत ही आवान शोध कार्य समाप्तन करेंगे। अध्याग्राम आवानकारण भवितव्य कोई विद्यक यदि शोध चारों की अनुमति नहीं है तो राजग्राम अधिकारी द्वारा प्रवित्त उपरिवर्ति प्रगति पर प्रति तीन माह की कार्य प्रभावि रिपोर्ट प्राचा होने पर भी वेतन आवान अधिकारी द्वारा शोध विभाग का वेतन अपरिवर्ति किया जायेगा।

विश्वविद्यालय में पदस्थ प्राप्त्यापक सुपरवाइजर को अन्तर्गत स्थानान्तरण ही जाने की विभाव में शोध छाड़ ऐसी सरला गे अपना शोध कार्य छालू, इस रखिये है जहाँ से उसका शोध आवेदन पत्र अधेष्ठित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवेश उसी भवित्वविद्यालयों के प्राचार्य अधेष्ठित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा।

16. विशेष :-
 16. जाली प्रभाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अवानी में शोध छाड़ ऐसी सरला गे अपना शोध कार्य छालू, इस रखिये है जहाँ से उसका शोध आवेदन पत्र अधेष्ठित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रवेश उसी भवित्वविद्यालयों के प्राचार्य अधेष्ठित करेंगे।
 - 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना को बिना लगातार एक माह तक अधिक समय तक अनुपरिष्ठ रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
 - 16.3 वश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
 - 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा भवित्वविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश विरोध होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की विधि में विद्यार्थी को सरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
 - 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में भागदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप या अभिभत देते हुए रप्रष्टीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, उत्तीसगढ़, रायपुर से पाप्त करेंगे प्रवेश सत्र किसी भी प्रकरण को केवल अधेष्ठित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की लंबाई करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में सामग्र-समय पर परिवर्तन / सशोधन / निरस / सलान का सपूर्ण अधिकार उत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मन्त्रालय को होगा।


PRINCIPAL
Govt. P.G. College
Dhamtari (C.O.)


रमेश कुमार